सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 520 राँची ,मंगलवार

22 आश्विन 1936 (श०)

14 अक्टूबर, 2014 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2014

संख्या-परि.वि.(विधि)-30/2014-1097--1. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(Ca) में राज्य सरकार द्वारा सवारी मोटर परमिट के लिए मार्गों के निर्धारण का प्रावधान है। राज्य गठन के उपरांत इस धारा अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अबतक कोई मार्ग निर्धारित नहीं किया गया है।

2. राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा Transport Revision No. 25/2013 व 29/2013 में पारित न्यायादेश में राज्य सरकार द्वारा मार्ग निर्धारित नहीं किये जाने के स्थिति में राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किये जा रहे सवारी मोटर परमिट को क्षेत्राधिकार से बाहर व अवैध माना है। उक्त न्यायादेश (TR-25/2013) की कंडिका 20 के प्रासंगिक अंश निम्न है -

"In the state of Jharkhand the State Government of Jharkhand has not formulated the routes for plying the Stage Carriage and without formulating the routes the STA/RTA have no power to grant any permit for plying Stage Carriage, If the grant of any permit that will become without having jurisdictions and illegal for all purpose".

3. उक्त आदेशोपरान्त विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे जनसाधारण व वाहन व्यवसाईयों को परेशानी हो रही है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में राज्यान्तर्गत परमिट हेतु मार्गो का निर्धारण अविलम्ब किया जाए। राज्य सरकार द्वारा सीधे मार्गो के निर्धारण की केन्द्रीयकृत व्यवस्था से अनावश्यक विलम्ब की संभावना बनी रहेगी। सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा राज्य परिवहन प्राधिकार को मार्गो से संबंधित आवश्यक एवं वांछित सूचनाएँ उपलब्ध रहती है। अतः उक्त न्यायादेश के आलोक में जनहित में सवारी मोटर परमिट के लिए मार्गो का निर्धारण हेतु अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा अन्तर्राज्यीय मार्गो के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. उपर्युक्त उद्येश्यों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(Ca) सहपठित धारा-68(1) के अन्तर्गत सवारी मोटर परमिट के लिए मार्गों का निर्धारण की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो का निर्धारण करने की शक्ति संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा अन्तर्राज्यीय मार्गो का निर्धारण करने की शक्ति राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रत्यायोजित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति परिवहन विभागीय संलेख ज्ञापांक-1076 दिनांक-10 अक्टूबर, 2014 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10 अक्टूबर, 2014 में मद संख्या-24 के रुप में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सचिव
परिवहन विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 520–50 ।